निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 9 / 2024
दायरा दिनांकः–15.04.2024
निर्णय दिनांकः– 23.12.24

उनवान

मिश्रीलाल आयु 68 वर्ष पुत्र लालजीराम उर्फ लालजी जाति मीना निवासी ग्राम भीलवाडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 23.12.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री देवेन्द्र कुमार मेहता – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी काश्तकार व्यक्ति है, जिनकी कृषि भूमि ग्राम भीलवाड़ा उंचा पटवार हल्का जैपला तहसील छबड़ा में खाता संख्या 137 / 134 खसरा नंबर 346 रकबा 0.7588 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.7588 है, उक्त आराजीयात पर प्रार्थीग काबिज काश्त है। उक्त आराजी में बतौर काश्तकार के नाम इन्तकाल मे दर्ज कराते समय सहवन से पिता का नाम मथुरालाल दर्ज हो गया है, उक्त नाम दुरूस्त कराना अति आवश्यक है। प्रार्थी की इसके अतिरिक्त अन्य कृषि भूमि ग्राम भीलवाडी में खाता संख्या 62 / 62 खसरा नंबरान 31, 34 / 1, 35, 43, 44, 65, की शामलाती आराजी में भी प्रार्थी के पिता का नाम लालजी दर्ज है, तथा खाता संख्या 41 / 43 की खसरा नंबर 126 / 1 में भी पिता का नाम लालजीराम दर्ज जमाबंदी है। प्रार्थी जब किसान केडिड कार्ड के लिए नकल निकालाकर बैंक मेनेजर साहब के पास गया तब जानकारी होने पर मालूम हुआ ओर अपने उक्त पिता का मयुरालाल के स्थान पर सही व वास्तविक नाम लालजीराम रेकार्ड मे दुरूस्त कराने बाबत कही बार राजस्व कर्मचारीयो से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा असमर्थता बताई गई। प्रार्थी अपने आधार कार्ड, जनआधार व राशनकार्ड व मुल निवासी प्रमाण पत्र व बैंक डायरी व सरपंच ग्राम पंचायत जैपला के द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज भी प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है। मिश्रीलाल पुत्र लालजीराम जाति मीना निवासी भीलवाडी तहसील छबड़ा जिला बांरा राज० के हे तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त सही व वास्तविक नाम दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडाउंचा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 137 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 62 नकल भीलवाडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 41 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जैपला दिनांक 13.03.2024 फोटो प्रति मूल निवास प्रमाण पत्र फोटो प्रति बैंक पास बुक फोटो प्रति पहचान पत्र, फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडी व भीलवाडाउंचा में स्थित है ग्राम भीलवाडा उंचा की भूमि का इन्तकाल दर्ज करतें समय सहवन से पिता का नाम मथुरालाल दर्ज हो गया। प्रार्थी को अन्य भूमि भीलवाडी में स्थित है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम लालजीराम सही दर्ज है प्रार्थी के पिता का नाम भीलवाडी की भूमि एवं अन्य दस्तावेजो में सही नाम लालजीराम दर्ज है परन्तु ग्राम भीलवाडा उंचा की भूमि में प्रार्थी के पिता का गलत नाम मथुरालाल दर्ज कर दिया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम मथुरालाल के स्थान पर लालजीराम दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा उंचा तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 137 में मिश्रीलाल पुत्र मथूरालाल दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 62 खाता संख्या 41 में मिश्रीलाल पुत्र लालजीराम दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत जैपला द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 13.03.2024 के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम लालजीराम होना बताया है इसी प्रकार प्रार्थी के मूलनिवास प्रामाण पत्र बैंक पास बुक पहचान पत्र आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम लालजीराम दर्ज है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम भीलवाडा उंचा की जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम मिश्रीलाल पुत्र मथुरालाल मीना सा0देह भीलवाडी दर्ज रिकार्ड है ग्राम वासियों से जानकारी करने पर प्रार्थी के पिता का नाम लालजीराम ही बताया गया। उक्त खाते में प्रार्थी के पिता का नाम मथुरालाल दर्ज है जॉच करने पर ज्ञात हुआ कि मथुरालाल प्रार्थी के काकाजी का नाम था प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय की गयी है प्रार्थी के पिता का नाम दस्तावेजों व ग्राम वासियों से जानकारी के आधार पर मिश्रीलाल पुत्र लालजीराम जाति मीना सा0देह भीलवाडी सही होना बताया है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडी व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के पिता का सही नाम लालजीराम है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पिता का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा उंचा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 346 रकबा 0.7588 है0 में प्रार्थी के पिता का नाम मिश्रीलाल पुत्र मथुरालाल के स्थान पर मिश्रीलाल पुत्र लालजीराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा